कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांकःसहायता/बाढ़/अति.वृष्टि/2025-26/ई-फाईल दिनांक :- यथाहस्ताक्षर

कार्यालय आदेश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिवसों में जिले में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टोंक के प्रस्ताव अनुसार जिले में संचालित आंगनबाडी एवं कक्षा 01 से 12 के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक हैं।

अतः मैं कल्पना अग्रवाल, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, टोंक आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टोंक जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों तथा आंगनबाडियों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राईमरी से कक्षा 12वीं तक के छात्र/छात्राओं का दिनांक 23.08.2025 का अवकाश घोषित किए जाने के आदेश पारित करती हूँ।

यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं हेतु लागू होगा एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनबाडीयों में कार्यरत समस्त स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे इस आदेश की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय संचालित करते हुए पाया जाता हैं, तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

जिला कलक्टर
टोंक

क्रमांकःसहायता/बाढ़/अति.वृष्टि/2025-26/ई-फाईल दिनांक :- यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, टोंक।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मु0 मा0/प्रा0 शि0 टोंक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, टोंक।
6. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय, टोंक।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
टोंक

Signature Not Verified

RajKaj Ref No.: 17342973
eSign 1.0

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.22 17:28:55 IST
Reason: Approved